

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-492/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00492)

1. मौहम्मद पुत्र खंगारा, जाति मेहरात, निवासी दौलतपुरा द्वितीय, हाल निवासी बिजयनगर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री अली पुत्र अहमदा जाति मेहरात, निवासी गांव दौलतपुरा द्वितीय, हाल तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर।
2. श्री लाडू पुत्र पदमा,
3. श्री उदा पुत्र पदमा,
4. श्री दीना पुत्र हजारी,
5. श्री नूरा पुत्र जफरू
6. श्री कालू पुत्र जफरू
7. श्रीमती गेन्दी पत्नी जफरू
8. श्री मिश्री पुत्र सुबरान
9. श्री भंवर पुत्र सुबरान
10. श्री मंगला पुत्र रूपा
11. श्री भंवरू पुत्र किशना,
12. श्री सकरू पुत्र किशना,
13. श्री छोटू पुत्र किशना
14. श्री हबीब पुत्र किशना
15. श्री शोकिन पुत्र किशना
16. श्री नीरा पुत्र किशना

समस्त जातिगण मेहरात, निवासीगण दौलतपुरा द्वितीय, हाल निवासी बिजयनगर, जिला अजमेर।

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस



अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, राजस्व वाद संख्या 49/2011 उनवान श्री अली बनाम श्री लाडू व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थित:-

1. श्री वैभवकृष्ण पारीक अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अय्यूब खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट 1 से 4 व 6
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 17
4. रेस्पोडेंट संख्या 05, 07 से 16 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:-31.12.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने प्रतिवादी अपीलांत एवं प्रतिवादी रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 17 के विरुद्ध दावा अंतर्गत धारा 53, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, जिला अजमेर के यहां प्रस्तुत किया जो दिनांक 8.8.2016 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर, मसूदा जिला अजमेर ने दिनांक 08.06.2016 को निर्णय व डिक्री पारित किए जाने के आदेश प्रदान किए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांत ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। रेस्पोंडेंट संख्या 05, 07 से 16 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।
4. अभिभाषक अपीलांत ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थी को नहीं थी तथा प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थी को निर्णय की सूचना प्रदान नहीं की गयी थी इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी थी तथा दिनांक 06.12.2019 को पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि तुम्हारे विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मसूदा (अजमेर) से निर्णय हो चुका है तो प्रार्थी दिनांक 06.12.2019 को मसूदा गया और मुकदमें के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तो प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुई की दिनांक 08.06.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री किया गया है। तो प्रार्थी ने नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2019 को प्रस्तुत किया जिस पर 09.12.2019 को प्रार्थी को नकल प्राप्त हुई तथा उसके पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया तथा रुपये पैसे का इंतजाम कर अजमेर आया और अपने अभिभाषक से मिलकर यह अपील न्यायालय में बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत कर रहा है। उपरोक्त देरी -सदभाविक तौर पर हुई है तथा प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.12.2019 को हुई इसलिये दिनांक 08.06.2016 से दिनांक 18.12.2019 तक का समय माफ किया जाए तथा जानकारी के आधार पर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाया जाकर अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर पारित किया जाये जिससे प्रार्थी को उचित न्याय की प्राप्ति हो सके अन्यथा प्रार्थी को अपूर्तिय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरीके से नहीं की जा सकेगी। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।
5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर जवाब बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन गलत, असत्य एवं मिथ्या होने से अस्वीकार है। अपीलाधीन वाद की संपूर्ण सुनवाई तथा उसमें पारित होने वाले निर्णय तथा उसके पश्चातवर्ती संपूर्ण कार्यवाही की समुचित जानकारी अपीलार्थी को रही है अपीलार्थी/प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस व सम्मन सम्यक रूप से तामीली के उपरांत उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा तय पैरवी की गई एवं समुचित सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित किए गए एवं उक्त निर्णय व डिक्री के अनुक्रम में निष्पादन कार्यवाही अमल में लाई गई जिसकी समुचित जानकारी तत्समय ही अपीलार्थी को भली भांति रही है एवं संपूर्ण बंटवारा प्रस्ताव अनुसार मौके पर दिनांक 22.11.2019 को उपखण्ड अधिकारी के आदेश अनुसार प्रत्यर्थी उत्तरदाता संख्या 01 को मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कराया गया तथा मौके पर स्वयं अपीलार्थी मौजूद रहा किन्तु अपीलार्थी ने मौका पर्चा कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया उक्त



समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलार्थी को थी एवं रही और अपीलाधीन निर्णय व डिक्री भी अपीलार्थी स्वयं व उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही पारित किए गए, ऐसी स्थिति में निर्णय व डिक्री दिनांकित 30.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत उपरोक्त अपील मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा निर्णय की जानकारी दिनांक 06.12.2019 को होना वर्णित किया है उसके सन्दर्भ में समुचित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए हैं एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार देरी के समुचित कारणों को भी वर्णित नहीं किया है जबकि विधि अनुसार प्रत्येक दिवस की देरी को समुचित रूप से दर्शित किया जाना आवश्यक है, उक्त मद में शेष कथन मनमाने तौर पर अंकित किए हैं जो विधि अनुसार चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथन जिस कदर अंकित किए हैं गलत, असत्य एवं मिथ्या होने से अस्वीकार हैं। सही तथ्य यह है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2018 की समुचित जानकारी अपीलार्थी को प्रारम्भ से ही रही है, इस पद में वर्णित समस्त कथन मनगढ़ंत रूप से वर्णित किए हैं, दावे में निर्णय व डिक्री पारित होने की सम्पूर्ण जानकारी अपीलार्थी स्वयं उसके अधिवक्ता को रही है, उक्त देरी का समुचित कारण का उल्लेख नहीं किया है इस कारण से अपील मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांत द्वारा-प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अस्वीकार कर इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं।



न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963-धारा-5 विलम्ब का उपशमन-विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए-यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

अभिभाषक रेस्पोंडेंट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब में अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 30.5.2018 के तथ्यों का वर्णन किया है जबकि उक्त अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.2016 बाबत पेश की गई थी जिसके बाबत अभिभाषक रेस्पोंडेंट द्वारा दिया गया जवाब प्रस्तुत अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 8.6.2016 में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। उक्त अपील के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने से प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।


7. विद्वान अभिभाषक अपीलांत ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया है कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस कारण से वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपने निर्णय में सभी तथ्य एवं दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने जिन तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत किया था तथा उसके सम्बन्ध में सभी दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये थे। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश प्रदान करने से पूर्व अपीलांत को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्या प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जिसके कारण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर

योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिन तथ्यों को आधार मानकर निर्णय प्रदान किया है वह भी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि बताकर दावा प्रस्तुत किया था तथा उसके संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत नहीं किये थे जबकि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 को अपने दावे को दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर प्रमाणित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को जवाब दावा प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया है जबकि अपीलाण्ट को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने दावा विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली का प्रस्तुत किया था। तो वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 को इसके संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने चाहिये थे, क्योंकि वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने खसरा नंबर 1781 रकबा 06-05-10 के संबंध में वाद प्रस्तुत किया था, और इसमें 5 हिस्सेदार अहमदा, पदमा, पन्ना, धन्ना एवं पूरा को माना था तथा अपीलाण्ट खंगारा का पुत्र है तथा उसका विवादित भूमि में 1/5 हिस्सा है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 एवं जमाबन्दी खेवट/खतौनी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज है इसलिये विवादित भूमि में अपीलाण्ट का 1/5 हिस्सा है। इसलिये विवादित भूमि में अपीलाण्ट का हक व हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने दावा प्रस्तुत किया था। जिसमें प्रतिवादी अपीलाण्ट एवं प्रतिवादी रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 17 को प्रतिवादी बनाया था। तो अधीनस्थ न्यायालय को दावे में निर्णय विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली का निर्णय करना चाहिये था। जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित नहीं किया कि उन्होंने किस आधार पर एवं किस प्रकार दावे का निर्णय किया है। इसलिये वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य था। जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 में खसरा नम्बर 1781 के मु० नजामी बेवा पांचू, सफी पुत्र पांचू, अली, शायर पिसरान अहमदा, हजारी, जफरू, मोती, लाडू, सुबाना, उदा पिसरान पदमा, रामा, गुलाब पिसरान पन्ना व खंगारा पुत्र धन्ना, किशना पुत्र पूरा, खातेदार अंकित थे। इसलिये वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य था। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलेक्टर मसूदा, द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं— 2017 आर०बी०जे० 299(लार्जर बैंच), 2006 आर०आर०डी० 752, 2007 आर०आर०डी० 285, 1993 आर०आर०डी० 411, 2010(2)डब्ल्यू एल सी एस०सी० सिविल 257, 2014(3)डी०एन०जे०(राजस्थान)1136, ए०आई०आर० एस०सी० 3089.



8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोंडेंट ने एक वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दौलतपुरा द्वितीय भू० अभि० क्षेत्र रामगढ तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1781 रकबा 06-05-10 व 1803 रकबा 02-04-00 कुल कित्ता 2 रकबा 08-09-10 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 16 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। खसरा नम्बर 1803 की आराजी पर कोई विवाद नहीं है लेकिन खसरा नम्बर 1781 की आराजी को लेकर विवाद है। वादी के इसमें सहखातेदार होने के बावजूद इसके हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण उपयोग उपभोग में है तथा वे वादी को बेदखल करना चाहते हैं। विवादित आराजी में अभिलेखानुसार सर्व श्री अहमदा, पदमा, पन्ना, धन्ना व पूरा सहित कुल 5 खातेदार थे। इसमें से अहमदा के हिस्से को उसके वारिसान ने वादी के पक्ष में हक त्याग कर दिया है और पन्ना का सम्पूर्ण हिस्सा वादी ने खरीद लिया है। अतः वादी के खसरा नंबर 1781 में 5 में से 2 हिस्से हो गये हैं। हिस्सादार धन्ना के वारिसान ने अपने हिस्से का हक त्याग प्रतिवादी संख्या 16 मौहम्मद के पक्ष में कर दिया है।

  
राजस्थान हाईकोर्ट  
अजमेर

इसलिए मौहम्मद 1 हिस्से का हिस्सेदार है। एक-एक हिस्से के हिस्सेदार पदमा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तथा पूरा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 से 15 है। प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 1781 की अविभाजित आराजी पर मनमर्जी से बिना विभाजन के तथा बिना संपरिवर्तन कराये मकानात बनाना शुरू कर दिया है और होद आदि का निर्माण कर रहे है। मना करने पर नहीं मान रहे है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद डिक्री कर घोषित किया जावे की विवादित आराजी नंबर 1781 के कुल 5 हिस्सों में से वादी 2 हिस्से है यथानुसार पक्षकारान के मध्य जरिये माप एवं सीमांकन बंटवारा करवाया जावे तथा पक्षकारान के हिस्सा के नक्शे प्रथक से तरमीम करवा कर पृथक-पृथक खाते कायम किये जावे। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 व 14, 15 के विरुद्ध अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 13 व 16 के जवाब हक बंद किए गए और शहादत वादी में नियत की गई। अभिलेख स्थिति अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी के 5 हिस्से में से 1-1/2 अर्थात डेढ हिस्से तक खातेदार पाया जाता है। यथानुसार पक्षकारान के मध्य ग्राम दौलतपुरा-II स्थित आराजी खसरा नम्बर 1781 रकबा 6-5-10 का विभाजन उनके हिस्सेनुसार जरिए माप एवं सीमांकन कर नक्शे में तरमीम के साथ वरवक्त सीमांकन के वादी के हिस्से की भूमि के कब्जा दिलवाते हुए प्रस्ताव प्रस्तावित करने के आदेश तहसीलदार बिजयनगर पर पारित किए जाते है। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा वादी के कब्जे उपभोग में दखलंदाजी एवं कार्यवाही बेदखली आदि से निषेध किया जाता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।



हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट/रेस्पोंडेंट संख्या 16 का जवाब दिनांक 17.2.2016 को बंद किया गया। यहां यह कहना उचित होगा कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 16 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किए जाने हेतु दिनांक 5.10.2011 से निरंतर न्यायहित में दिनांक 17.2.2016 तक समुचित रूप से अवसर दिया गया था किंतु उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वाद को प्राथमिक डिक्री किया गया है तथा वादी को विवादित आराजी के पांच हिस्से में से 1.5 अर्थात डेढ हिस्से का खातेदार घोषित किया है जबकि कुर्रजात रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए मंगवाए जाने के आदेश दिए जाने चाहिए थे जो उनके द्वारा नहीं दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव धारा 53 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल)-1955 के नियम 18 से 21 की पालना बाबत भी कोई अंकन प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक व प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की है। वाद अंतर्गत धारा 53, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन था अधीनस्थ न्यायालय को प्राथमिक डिक्री भी इसी अनुसार कि जानी चाहिए थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद का निस्तारण पूर्ण न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए बिना किया गया है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 49/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी  
अजमेर


न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभय पक्षकारान को जवाब का अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए हिस्से अनुसार पुनः प्राथमिक डिक्री जारी की जावें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.01.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम





(रामचन्द्र)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
31/12/2024

(रामचन्द्र)  
राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर